अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

- **होमचॉइस ब्रिस्टल (HomeChoice Bristol) के ज़रिये आवासों के लिये कौन आवेदन दे सकता है?**
  आवेदन दे सकने के लिये यह ज़रूरी है कि आपको होमचॉइस ब्रिस्टल ने या तो किराये के आवास या लो कौस्ट होम ओनरशिप प्रॉपर्टीज़ यानी कम दाम पर घर का मालिक बनने वाले किसी आवास पाने के लिये, ब्रिस्टल के हाउसिंग रजिस्टर (Housing Register) में शामिल कर लिया है। 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, हाउसिंग रजिस्टर में शामिल होने के लिये आवेदन कर सकता है।

- **हाउसिंग रजिस्टर में शामिल होने के लिये मुझे क्या करना होगा?**
  आपको एक आवेदन फ़ॉर्म भरना होगा। आवेदन फ़ॉर्म भरने के लिये (ऑन-लाइन ऐप्लिकेशन फ़ॉर्म) on-line application form पर क्लिक कीजिये। आवेदन फ़ॉर्म को किसी भी ब्रिस्टल सिटी काउंसिल कस्टमर सर्विस पाइंट (Bristol City Council Customer Service Point) से भी मंगाया जा सकता है।

- **मुझे दूसरे कौन-कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे?**
  आपको अपने आवेदन फ़ॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे :
  - अपने परिवार के सभी लोगों की पहचान के प्रमाण (जैसे कि पासपोर्ट, जन्म के प्रमाण-पत्र)
  - वर्तमान पते का प्रमाण (जैसे कि हाल का यूटिलिटी यानी बिजली, गैस, पानी आदि का बिल)
  - अगर आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो यूके में रहने के आपके अधिकार का प्रमाण (जैसे कि पासपोर्ट और होम ऑफ़िस (Home Office) का दूसरा कोई दस्तावेज़।

  आपको कोई भी आवास प्रस्तुत होने के पहले, आपको अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। हम आपको बतायेंगे कि ये अतिरिक्त दस्तावेज़ कौन-कौन से होंगे और इन्हें आपको कब प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेज़ ओरिजिनल यानी मूल, दिनाप्त और वैध होने होंगे। स्वीकृत दस्तावेज़ों की पूरी सूची के लिये, होमचॉइस ब्रिस्टल टीम या हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस पाइंट से संपर्क कीजिये। हमारे काम के समय और संपर्क के विवरणों के लिये यहाँ (हाउ टु कौनटैक्ट अस) How to contact us पर क्लिक कीजिये।

- **अगर मैं ज़रूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत न करूँ तो क्या होगा?**
  अगर समय-सीमा (साधारणतः 28 दिन) के अंदर आप हमको ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत करते हैं या हमसे संपर्क नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

- **मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हाउसिंग रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है?**
  हाउसिंग रजिस्टर में शामिल कर लिये जाने के बारे में आपको एक पत्र मिलेगा। यह पत्र आपको बतायेगा कि आपको किस बैंड में रखा गया है, आपके आवेदन के दर्ज होने की तारीख क्या है और आप कितने बड़ आवास के योग्य हैं। यह आपको यह भी बतायेगा कि आपको प्रापर्टी यानी आवासों के लिये, किस तरह तलाश और बिडिंग करना चाहिये।

- **क्या आप कह सकते हैं कि आप मुझे हाउसिंग रजिस्टर में शामिल नहीं करेंगे?**
  कुछ लोग हाउसिंग रजिस्टर में शामिल करने के योग्य नहीं हैं। इनमें निम्नलिखित लोग हैं :
  - कुछ लोग जिनपर 1996 असायलम ऐंड इमिग्रेशन ऐक्ट (Asylum and Immigration Act) के अंतगर्त, इमिग्रेशन कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जा सकता है।
  - विदेश से आने वाले कुछ लोग जिनपर इमिग्रेशन कंट्रोल करना संभव नहीं है, पर जो सामान्य तौर पर यूके, चैनेल आयलैंड्स दी आइल ऑफ़ मैन या रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड में निवास नहीं करते हैं।
  - ऐसे लोग (इनमें आवेदन करने वालों के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं) जो अस्वीकार्य बर्ताव करने के दोषी पाये जाने की वजह से, किरायेदार बनने के लिये अनुचित हैं।

  अधिक विवरण के लिये होमचॉइस ब्रिस्टल टीम या किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट से संपर्क कीजिये।

- **मुझे एक ही बैंड में कब तक रखा जायेगा?**
  अगर आप बैंड 1-3 के बीच में हैं, तो एक खास समय-सारिणी के आधार पर आपके आवेदन पर गौर किया जायेगा।
  अगर आप बैंड 4-5 के बीच हैं, तो जब तक आपके हालात बदलने के कारण आपकी प्राथमितायें नहीं बदलेंगी, तब तक आपको उसी बैंड में रखा जायेगा।

- **अगर मेरे हालात बदल जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिये?**
  यह बहुत ज़रूरी है कि आपके हालात बदलने पर, आप हमें सूचित कर दें ताकि हम आपके आवेदन पर दोबारा गौर कर सकें। आपके बदले हुए

हालात की वजह से अगर आपके आवेदन को किसी दूसरे बैंड में डाले की ज़रूरत होगी, तो हम आपको सूचित करेंगे। अगर आपको अगले बैंड में डालना पड़ता है, तो उस तारीख को इस्तेमाल किया जायेगा, जिसपर आपको आगे बढ़ाया गया है। अगर आपको ऊपर के किसी बैंड से, नीचे लाया जाता है, तो आपके उस आवेदन की तारीख को इस्तेमाल किया जायेगा जिसके आधार पर आपको उस बैंड में डाला गया था, या अगर पहले आप किसी और भी ऊपर के बैंड में रह चुके हैं, तो उसकी तारीख को भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

- **क्या हर वर्ष मुझे अपने आवेदन का नवीकरण करना होगा?**
  हर साल, आम तौर पर आपके आवेदन देने के साल भर बाद, आपको एक डैक्लरेशन फ़ॉर्म (declaration form) यानी घोषणा का फ़ॉर्म भेजा जायेगा, जिसे आपको 28 दिनों के अंदर भरकर वापस भेजना होगा। यदि आप डैक्लरेशन फ़ॉर्म भरकर हमें वपस नहीं करेंगे, तो हम आपको लिखकर सूचित करेंगे कि आपका आवेदन रद्द कर दिया गया है।

- **अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की मेडिकल हालत है, तो?**
  अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी तरह की मेडिकल हालत से प्रभावित है जो आपके वर्तमान आवास से अधिक बिगड़ गयी है, तो आपको इसके विवरण देने को कहा जायेगा, ताकि काउंसिल की हैल्थ और हाउसिंग टीम यानी सेहत और आवास का दल उनपर गौर कर पाये। आपके मामले पर गौर करने के बाद, यह दल अपना निर्णय देगा। आप अपनी पसंद के मुताबिक आवासों के लिये आवेदन देना जारी रख सकते हैं, पर आपको आवास चुनते समय अपने हालत पर ध्यान देते हुए उचित आवास चुनने होंगे। मिसाल के लिये, अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो आपको केवल ग्राउंड फ़्लोर वाले फ़्लैट या किसी बंगले में अपनी रुचि ज़ाहिर करनी चाहिये।

- **आवासों के विज्ञापन कैसे दिये जाते हैं?**
  आवासों के विज्ञापन हर हफ़्ते मंगलवार की सुबह 00.01 बजे से इतवार 11.59 बजे रात तक जारी रहते हैं। अधिक विवरण के लिये (स्टैप टू-चूज़िंग) Step Two - Choosing, पर क्लिक कीजिये जो हमारी सेवायें इस्तेमाल करने के लिये कदम-कदम वाली गाइड का एक भाग है।

- **आवासों के विज्ञापन कहाँ दर्शाये जाते हैं?**
  आवासों के विज्ञापन निम्नलिखित तरीके से दिये जाते हैं :
  - ऑन लाइन इस पते पर www.homechoicebristol.co.uk
  - कस्टमर सर्विस पाइंट के केंद्रों और हाउसिंग एसोसिएशंज़ के दफ़्तरों पर मिल सकने वाले किसी न्यूज़लैटर यानी समाचार-पत्र में।
  - ब्रिस्टल ईवनिंग पोस्ट (Bristol Evening Post) के मंगलवार के संस्करण में।

- **आवासों के विज्ञापनों में कौन-कौन सी जानकारी होगी?**
  विज्ञापनों में आपको बताया जायेगा कि जिस आवास का विज्ञापन दिया जा रहा है उसमें कितने बेडरूम हैं, उसका मकान- मालिक कौन है, आवास का किराया कितना है और आवास के दूसरे विवरण क्या हैं। आवास की तस्वीर भी दर्शायी जायेगी और जिन आवासों के विज्ञापन वैबसाइट पर दिये जायेंगे, वे उन आवासों के लोकल क्षेत्र और सुविधाओं की जानकारी देने वाले लिंक से भी जोड़ दिये जायेंगे। अगर किरायेदारों को आवास के लिये बिड कर सकने के लिये, किसी प्रकार की खास ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, जैसे कि उम्र-संबंधी शर्तें, किन-किन बैंड में होना ज़रूरी है और कौन से बैंड को प्राथमिकता मिलेगी, तो विज्ञापन आपको इन सबकी भी जानकारी देगा। अगर आप जितने बेडरूम पाने के योग्य हैं, उसकी संख्या, आवास के विज्ञापन में बताये गये बेडरूम की संख्या से अलग होगी, तो आम तौर पर, आप उस आवास के लिये बिड नहीं कर पायेंगे।

- **किसी आवास के लिये कैसे रुचि ज़ाहिर या बिड किया जाता है?**
  रुचि ज़ाहिर करने या बिड करने के लिये आप निम्नलिखित में से चुनाव कर सकते हैं :
  - ऑन लाइन जाकर हमारी वैबसाइट पर इस पते पर www.homechoicebristol.co.uk
  - 24-सों घंटे चलने वाली हमारी ऑटोमेटिड टेलिफ़ोन सर्विस के नंबर 0845 270 1382 के ज़रिये
  - इस नंबर 07781 486 941 पर टैकस्ट भेजकर

- **कितने आवासों में रुचि ज़ाहिर करना संभव है?**

  आप हर हफ़्ते, अधिक से अधिक तीन आवासों में रुचि ज़ाहिर कर सकेंगे। लेकिन, आप केवल उन आवासों में रुचि ज़ाहिर कर सकेंगे जो आपके परिवार के लिये उचित हैं। अगर आपका मन बदल जाता है या आपको लगता है कि आपको कोई दूसरा बेहतर आवास मिल सकता है, तो किसी भी समय आप अपना बिड हटा सकते हैं या किसी दूसरे आवास के लिये बिड कर सकते हैं।

- **किसी आवास के लिये कितनी देर तक बिड किया जा सकता है?**
  आवासों के विज्ञापन मंगलवार को सुबह 00.01 बजे से दर्शाये जायेंगे और आप रविवार की रात के 11.59 बजने तक अपना बिड रजिस्टर कर सकेंगे।

- **क्या मुझे पता चल सकेगा कि जिस आवास को मैं चाहता हूँ उसमें दूसरे कितने लोग रुचि ले रहे हैं?**
  जी हाँ, जब आप किसी आवास के लिये बिड करेंगे, तब आपको बताया जायेगा कि क्यू यानी पंक्ति में आपकी स्तिथि की संख्या क्या है। इस स्तिथि में शीघ्र बदलाव होना संभव है, क्योंकि दूसरे लोग भी उसी आवास में रुचि ज़ाहिर कर सकते हैं। क्यू में आपकी स्तिथि की जानकारी के आधार पर, आप तय कर सकते हैं कि आप किसी आवास से अपना बिड हटाकर, दूसरे किसी आवास के लिये बिड करना चाहते हैं जिसकी क्यू में आपकी स्तिथि अधिक आगे हैं। अंतिम तिथि के पहले किसी भी समय पर आप ऐसा करने का निर्णय ले सकते हैं।

- **किसी को आवास देने का निर्णय आप कैसे लेते हैं?**
  बिड की अंतिम तिथि गुज़र जाने के बाद, हर आवास में रुचि ज़ाहिर करने वाले आवेदकों की एक शॉर्टलिस्ट यानी सूची तैयार की जाती है। शॉर्टलिस्ट, आवास के विज्ञापन के विवरण में बतायी गयी योग्यता के मानकों के मुताबिक, तैयार की जाती है। इस लिस्ट में जिस आवेदक का नाम पहला होगा, साधारण तौर पर, उसी आवेदक को आवास प्रस्तुत किया जायेगा। अधिक विवरण के लिये (स्टैप थ्री –ऑफ़र) Step Three - offer पर क्लिक कीजिये।

  रविवार की रात को 23.59 बजे बिड का चक्र खतम होगा। बिड का चक्र खतम होने पर अगर आप देखते हैं कि किसी आवास के लिये आप पहले स्थान पर हैं, तो उचित मकानमालिक का आपसे संपर्क करने के लिये इंतज़ार कीजिये क्योंकि संभव है कि वह आपसे तुरंत संपर्क करने की हालत में न हो।

- **अगर किसी किरायेदारी वाले आवास के लिये मैं सफलतापूर्वक बिड करूँ, तो क्या मकान– मालिक मुझे उसे किराये पर देने से इंकार कर सकते हैं?**
  आगर आपकी स्तिथि लिस्ट के ऊपर है और मकान–मालिक को लगता है कि आप किरायेदार बनने के योग्य नहीं हैं, तो वो आपको बतायेंगे कि इसकी वजह क्या हैं। अगर आप उसके निर्णय से सहमत नहीं हों, तो आपको मकान–मालिक से सीधा संपर्क करना होगा।

- **आगर मुझ कोई आवास प्रस्तुत किया जाता है, तो अपना निर्णय लेने के पहले क्या मुझे उसे देखने का मौका मिलेगा?**
  जी हाँ। अपको आवास को आकर देखने और यह निर्णय लेने का अवसर दिया जायेगा कि क्या वो आपको पसंद है या नहीं।

- **अगर देखने के बाद, मुझे आवास पसंद न आये तो?**
  आगर प्रस्तुत की गयी किसी प्रापर्टी यानी आवास को आप ठुकरा देते हैं, तो समान्य तौर पर, आपको छः महीनों के लिये एक बैंड नीचे खिसका दिया जायेगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्रस्तुत की गयी प्रापर्टी, आपके लिये सुविधाजनक नहीं थी, तो ठुकरा देने के अपने कारणों को, आपको लिखकर होमचॉइस ब्रिस्टल टीम को देना होगा। अगर ऐसा करने के लिये आपको मदद चाहिये, तो आपको किसी भी कस्टमर सर्विस पाइंट से संपर्क करना चाहिये। संपर्क करने के सभी विवरणों के लिये (हाउ टू कॉंटैक्ट अस) how to contact us पर क्लिक कीजिये।

- **मुझे कैसे पता चलेगा कि जिन आवासों के विज्ञापन दिये गये थे उनका नतीजा क्या हुआ?**
  जिन आवासों को सफलतापूर्वक किराये पर उठाया जा चुका है, उनकी जानकारी प्रकाशित की जाती है। हम आपको बतायेंगे कि कितने लोगों ने हर आवास के लिये रुचि ज़ाहिर की थी, और हर आवेदक के बैंड और रजिस्ट्रेशन की तारीख की भी जानकारी देंगे। किराये पर उठाये गये आवासों के विवरण के लिये (रीसैंट लैट्स) Recent Lets पर क्लिक कीजिये।

- **मुझे इस जानकारी से क्या लाभ होगा?**
  आपको अधिक सफ़ाई से पता लग सकेगा कि आपके क्षेत्र का कोई खास आवास कितना लोकप्रिय है और आपको साधारण तौर पर,उसके लिये कितने समय तक प्रतीक्षा करना ज़रूरी होगा। इसके बाद, आप तय कर सकेंगे कि क्या आपको दूसरे प्रकार के आवास या दूसरे इलाके में आवास की तलाश करनी चाहिये ताकि आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा करना ज़रूरी नहीं होगा।

- **क्या कारपैट और उपकरण उपलब्ध किये जाते हैं?**
  समान्य तौर पर, आपको आवास में कारपैट और उपकरणों का खुद प्रबंध करना होगा।

- **आवास पाने के दूसरे कौन –कौन से विकल्प हैं?**
  ब्रिस्टल के इलाके में घरों की गंभीर कमी है। हाउसिंग रजिस्टर में दर्ज अधिकांश आवेदकों को दोबारा आवास पाने में बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी होगी और नीचे के बैंड में रखे गये बहुत सारे लोगों की, लंबे इंतज़ार के बावजूद, लोकल क्षेत्र में दोबारा घर पाने की संभावना बहुत कम होगी। संभव है कि आपकी परिस्थिति के आधार पर, आप दूसरे विकल्प, जैसे कि प्राइवेट सैक्टर यानी निजी क्षेत्र के किरायेदार बनने, के बारे में विचार करना चाहें। अगर आप कुछ खास शर्तें पूरी कर सकेंगे, तो संभव है कि प्राइवेट सैक्टर का किरायेदार बनने का डिपॉज़िट अदा करने में हम आपकी मदद कर सकें। आपके आवास– संबंधी विकल्पों पर विचार–विमर्श के लिये, आप हमसे मिलने का अपाइंटमैंट होमचॉइस ब्रिस्टल टीम से माँग सकते हैं।

- **मैं अगर बेघर हो जाऊँ, तो?**
  अगर आप बेघर हैं या बेघर हो जाने के खतरे में हैं, तो आपको होमचॉइस ब्रिस्टल टीम या हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस पाइंट से संपर्क करना चाहिये। आपको बेघर होने से बचाने के लिये, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपके साथ आपके आवास-संबंधी विकल्पों पर विचार-विमर्श करेंगे। अगर हमारी कोशिश असफल होती है, तो हो सकता है कि आपके लिये कुछ समय तक कहीं रहने का प्रबंध किया जायेगा। इसके बाद भी, आप होमचॉइस ब्रिस्टल के ज़रिये आवासों में अपनी रुचि ज़ाहिर कर सकते हैं, बशर्ते कि हाउसिंग रजिस्टर में आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन, फिर भी, अधिकांश मामलों में इसकी संभावना बहुत ही कम है कि बेघर होने की आपकी समस्या, समय पर सुलझ जाये, क्योंकि सफलता पाने के पहले, अधिकांश आवेदकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

- **मैं किसी निर्णय के पुनरीक्षण के लिये निवेदन कैसे करूँ?**
  अगर आप नीचे दिये किसी भी निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप पुनरीक्षण के लिये निवेदन कर सकते हैं :
  - आप हाउसिंग रजिस्टर में शामिल किये जाने के योग्य नहीं हैं
  - आप किसी प्रस्ताव को पाने के योग्य नहीं हैं
  - आपका आवेदन रद्द कर दिया गया है, बगैर आपके निवेदन के आधार के ही
  - आपको लगता है कि आपको गलत बैंड में रखा गया है या आपको गलत प्रयोरिटी डेट यानी प्राथमिकता की तारीख दी गयी है।

  पुनरीक्षण का निवेदन करने के लिये, निर्णय की नोटिस और उसके कारण पाने की तारीख के 21 दिनों के अंदर, आपको होमचॉइस ब्रिस्टल टीम से संपर्क करना ज़रूरी है। आप लिखित रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं जिसपर आप पुनरीक्षण के दौरान चाहते हैं कि गौर किया जाये। साधारणतः 8 हफ़्तों के अंदर आपको पुनरीक्षण के नतीजे की सूचना मिल जायेगी। आप दूसरे पुनरीक्षण की माँग नहीं कर सकते हैं।

सेवा का प्रयोग कैसा करना चाहिये

होमचॉइस ब्रिस्टल का प्रयोग करने के लिये हमारी कदम-कदम पर मार्गदर्शन देने वाली गाइड इस्तेमाल कीजिये।

यह आपको बताती है कि काउंसिल या हाउसिंग सोसायटी के किसी आवास का किरायेदार बनने के लिये, सर्विस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिये।

पहला कदम (रजिस्ट्रेशन) Registration
दूसरा कदम (चुनना) Choosing
तीसरा कदम (प्रस्ताव) Offer
चौथा कदम (फ़ीडबैक) Feedback

पहला कदम - रजिस्ट्रेशन

हाउसिंग रजिस्टर पर अगर आपका कोई क्रियाशील आवेदन है, तो आप होमचॉइस ब्रिस्टल के द्वारे आवासों के लिये आवेदन दे सकेंगे। हाउसिंग रजिस्टर के लिये आवेदन देने के विवरण पाने के लिये (हू कैन यूज़ द सर्विस)
Who can use the service पर क्लिक कीजिये।

दोबारा आवासित करने के आपके आवेदन के मूल्यांकन के बाद, हम आपको निम्नलिखित बतायेंगे :

- आपका हाउसिंग ऐप्लिकेशन नंबर
- आपके ऐप्लिकेशन को किस बैंड में रखा गया है और उसके चालू होने की तारीख। अधिक जानकारी के लिये (प्रायौरिटायज़िंग ऐप्लिकेशंज़) Prioritising applications पर क्लिक कीजिये।
- आप जितने बेडरूमों के लिये योग्य हैं उसकी संख्या।

आपको हमें आपके हालात में होने वाले सभी परिवर्तनों की सूचना देनी होगी ताकि हम आपके आवेदन का दोबारा मूल्यांकन कर सकें और ज़रूरत हो, तो आपके बैंड और प्राथमिकता की तारीख को बदल सकें।

आवास का आकार

आप केवल अपने परिवार के लिये उचित आवासों के लिये योग्य होंगे। निम्नलिखित तालिका से आपको पता लग सकेगा कि आप जितने बेडरूमों के लिये योग्य हैं, उसका निर्णय हम किस तरह करते हैं :

	বডরুমর সংখ্যা					
परिवार का प्रकार	**बेडसिट**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
अकेला आवेदक	0	1				
साथ रहने वाली या विवाहित बिन बच्चे की जोड़ी		1				
अकेला आवेदक या जोड़ी जिनका बच्चा होने वाला है		1	2			
अकेला आवेदक या 1 बच्चे वाली जोड़ी			2			
अकेला आवेदक या 2 बच्चों वाली जोड़ी (10 साल से कम उम्र का लकड़ा व लड़की)			2			
अकेला आवेदक या 2 बच्चों वाली जोड़ी(21 साल से कम उम्र के एक ही लिंग के बच्चे)			2			
अकेला आवेदक या 2 बच्चों वाली जोड़ी (लकड़ा व लड़की जिनमें से कम से कम 1की उम्र 10 वर्ष से अधिक है)				3		
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (लकड़े ,लड़कियाँ दोनों ही जिनमें से सभी बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है)				3		
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (21 साल से कम उम्र के एक ही लिंग के बच्चे)				3		
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (कुछ लकड़े व कुछ लड़कियाँ जिनमें से सभी की उम्र 21 वर्ष से कम है)				3		
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (एक ही लिंग के तीनों बच्चे जिनमें से 2 बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम और 1 की 21 से अधिक है)				3		
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (जिनमें से 1 बच्चे की उम्र 21 वर्ष से कम और 2 की 21 वर्ष से अधिक है)				3	4	

अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (एक ही लिंग के तीनों बच्चे और सभी की उम्र 21 वर्ष से अधिक है)				3	4	
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (कुछ लकड़े व कुछ लड़कियाँ जिनमें से सभी की उम्र 21 वर्ष से अधिक है)				3	4	
अकेला आवेदक या 3 बच्चों वाली जोड़ी (जिनमें से 1 बच्चे की उम्र 21 वर्ष से अधिक है और 1 लड़का और 1 लड़की है जिनमें से 1 की उम्र 10 वर्ष से कम है और 1 की 10 वर्ष से अधिक है)				3	4	
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी (एक ही लिंग के बच्चे और सभी की उम्र 21 वर्ष से कम है)				3		
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी (कुछ लकड़े व कुछ लड़कियाँ जिनमें से सभी की उम्र 10 वर्ष से कम है)				3		
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी (दो लड़के और दो लड़कियाँ और सभी की उम्र 21 वर्ष से कम है)				3		
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी (एक ही लिंग के बच्चे जिनमें से 3 की उम्र 21 वर्ष से कम है और 1 की 21 वर्ष से अधिक है)				3	4	
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी(10 वर्ष से कम एक ही लिंग के 3 बच्चे और दूसरे लिंग का 10 वर्ष से अधिक उम्र का 1 बच्चा)					4	
अकेला आवेदक या 4 बच्चों वाली जोड़ी (10 वर्ष से कम तीन बच्चे जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं और 1 बच्चा जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है)					4	

* अधिक बड़े परिवार वाले 3, 4, 5 और 6+ बेडरूम वाले बड़े घरों के लिये बिड कर सकते हैं।

नोट कीजिये : काउंसिल की हैल्थ और हाउसिंग टीम किसी परिवार की सेहत के कारण, उस परिवार को जितने बड़े आवास के लिये बिड करने का हक बनता है, उससे अधिक बड़े आवास के लिये बिड करने का अधिकार उसको प्रदान कर सकती है।

दूसरा कदम – चुनना

आवासों के विज्ञापन

ब्रिस्टल सिटी काउंसिल और हाउसिंग एसोसिएशन के आवासों के विज्ञापन हर सप्ताह निकलते हैं। विज्ञापन चक्र मंगलवार की सुबह 0.01 से आरंभ होकर रविवार की रात के 11.59 तक चलता रहता है। इस चक्र के दौरान, आप कभी भी विज्ञापन में प्रदर्शित किसी भी आवास के लिये बिड करके, अपनी रुचि ज़ाहिर कर सकते हैं। 'बिड' शब्द का मतलब विज्ञापन में प्रदर्शित किसी भी आवास के लिये अपनी रुचि ज़ाहिर करना है।

ब्रिस्टल सिटी काउंसिल और हाउसिंग एसोसिएशन के किराये पर उपलब्ध आवासों के विज्ञापन, निम्नलिखित तरीकों से प्रस्तुत किये जाते हैं :

- (प्रापर्टी सर्च) Property Search के ज़रिये इस साइट पर।
- ब्रिस्टल ईवनिंग पोस्ट में हर मंगलवार को
- हमारे किसी भी काउंसिल कस्टमर सर्विस पाइंट पर रखे न्यूज़लैटर यानी समाचारपत्र मैं। हमारे कस्टमर सर्विस पाइंट के काम के लिये खुले रहने के विवरण देखने के लिये (हाउ टू कौंटैक्ट अस) how to contact us. पर क्लिक करें।

विज्ञापनों में आपको बताया जायेगा कि जिसका विज्ञापन दिया जा रहा है, उस आवास में कितने बेडरूम हैं, उसका मकान– मालिक कौन है, आवास का किराया कितना है और आवास के दूसरे उचित विवरण क्या हैं। आवास की तस्वीर भी दर्शायी जायेगी और जिन आवासों के विज्ञापन वैबसाइट पर दिये जायेंगे, वे उन आवासों के लोकल क्षेत्र और सुविधाओं की जानकारी देने वाले लिंक से भी जोड़ दिये जायेंगे।

अगर किरायेदारों को आवास के लिये बिड करने के लिये, किसी प्रकार की खास ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, जैसे कि उम्र–संबंधी शर्तें, किन–किन बैंड में होना ज़रूरी है और कौन से बैंड को प्राथमिकता मिलेगी, तो विज्ञापन आपको इन सबकी भी जानकारी देगा। अगर जितने बेडरूम पाने के आप योग्य हैं, उसकी संख्या, आवास के विज्ञापन में बताये गये बेडरूम की संख्या से अलग होगी, तो आम तौर पर, आप उस आवास के लिये बिड नहीं कर पायेंगे।

आवास के बारे में आपको जानकारी देने के लिये, तरह–तरह के संकेतों का प्रयोग किया जाता है।

आवास में अपनी रुचि व्यक्त करना

आवास में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिये आपको कहना होगा कि आप चाहते हैं कि आपके मामले पर गौर किया जाये। आपके मामले पर केवल आपके परिवार के साइज़ के आधार पर उचित समझे जाने वाले आवास के लिये गौर किया जायेगा। यह जानने के लिये कि आप अधिकतम कितने बेडरूम के योग्य हैं, कृपया (स्टैप वन–रजिस्ट्रेशन)
Step One-Registration पर क्लिक कीजिये। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब आप अपनी योग्यता से छोटे आवास के लिये आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि घर, आपके परिवार के लिये बहुत ही अधिक छोटा हो।
आप अपनी रुचि ज़ाहिर यानी बिड करने के लिये, निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी एक अपना सकते हैं :

- ऑन लाइन जाकर हमारी वैबसाइट पर। अपना हाउसिंग एप्लिकेशन नंबर और प्रमुख आवेदक की जन्म तिथि का प्रयोग करते हुए लॉगइन करने के लिये (लॉगइन माय अकाउंट) Login/My account पर क्लिक कीजिये
- 24-सों घंटे चलने वाली हमारी ऑटोमेटिड बिडिंग लाइन का यह नंबर 0845 270 1382 डायल कीजिये
- इस नंबर 07781 486 941 पर टैकस्ट भेजिये
- काउंसिल के किसी भी कस्टमर सर्विस पाइंट के सैल्फ़ सर्विस पाइंट का प्रयोग कीजिये। आपकी मदद करने में हमारे कर्मचारियों को खुशी होगी।

किसी भी विज्ञापन चक्र के दौरान, आप अधिक से अधिक 3 आवासों के लिये बिड कर सकेंगे। रविवार के मध्यरात्रि के बाद, कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। आप केवल ऐसे आवास के लिये आवेदन दे सकेंगे जो आपके परिवार की साइज़ के लिये उचित है।

आवास जो अभी उपलब्ध हैं

वर्तमान में उपलब्ध आवासों का पता लगाने के लिये (प्रापर्टी सर्च) Property Search पर क्लिक कीजिये।

हमारी सेवा इस्तेमाल करने के लिये आपको सहायता देना

अगर आप या आपकी पहचान के कोई लोग, हमारी सेवा इस्तेमाल करने के लिये मदद चाहते हैं, तो कृपया होमचॉइस ब्रिस्टल टीम या हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट से संपर्क कीजिये। हमारे संपर्क और काम के लिये खुले रहने के विवरण देखने के लिये (हाउ टू कौंटैक्ट अस) How to contactus पर क्लिक कीजिये।

तीसरा कदम – प्रस्ताव

हमको भेजा गया हर बिड, बैंडिंग स्कीम यानी बैंड में डालने की योजना, और प्रापर्टी के विज्ञापन में बताये गये योग्यता के मानकों के मुताबिक खुदबखुद उचित प्राथमिकता देकर, आयोजित किया जायेगा ताकि विज्ञापन में दर्शाये गये हर आवास के लिये, योग्य आवेदकों की एक सूची तैयार हो जाये। बैंडिंग स्कीम पर अधिक जानकारी के लिये (प्रायौरिटायज़िंग ऐप्लिकेशं) Prioritising applications पर क्लिक करके देखिये।
बिंडिंग सायकिल यानी बिड करने के चक्र के बंद हो जाने के बाद, हर संबंधित मकान मालिक, अपनी प्रॉपर्टी यानी आवास के लिये चुने गये रुचि रखने वाले आवेदकों की शॉर्टलिस्ट को देखेंगे। अधिकांश मामलों में, लिस्ट पर जिसका नाम सबसे पहले होगा, उसी को आवास प्रस्तुत किया जायेगा। अगर मकान मालिक उस व्यक्ति को अपना आवास न दे सके, तो वह लिस्ट पर दिये गये अगले आवेदक को अपना आवास देने के बारे में विचार करेगा और इसी तरह आगे बढ़ता चलेगा। आवास का प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले, सफल आवेदक को आवास देखने का अवसर मिलेगा।

रविवार की रात को 23.59 बजे बिड का चक्र खतम होगा। बिड का चक्र खतम होने पर अगर आप देखते हैं कि किसी आवास के लिये आप पहले स्थान पर हैं, तो उचित मकानमालिक का आपसे संपर्क करने के लिये इंतज़ार कीजिये क्योंकि संभव है कि वह आपसे तुरंत संपर्क करने की हालत में न हो।

अगर आप आवास का प्रस्ताव ठुकरा देंगे, तो साधारण तौर पर, आपको छः महीनों की अवधि के लिये अपने बैंड से नीचे खिसका दिया जायेगा। अगर आपको लगता है कि प्रस्ताव सही नहीं था और आपके लिये अनुचित था, तो आपको प्रस्ताव ठुकरा देने के कारणों को लिखित रूप में होमचॉइस ब्रिस्टल टीम को भेजना होगा। इसे करने में मदद की ज़रूरत है, तो किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट से संपर्क कीजिये।

अगर आपके सामने आवास का प्रस्ताव रखा जाता है, तो जब तक आप प्रस्ताव को स्वीकार या ठुकरा नहीं देते हैं, आपको दूसरे आवासों के लिये शॉर्टलिस्ट नहीं किया जायेगा।

आप अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो आवास से संबंधित मकान मालिक आपसे संपर्क करेगा ताकि आप किरयेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकें और आवास की चाभियाँ ले सकें।

चौथा कदम – फ़ीडबैक

आप जब भी वैबसाइट पर जाकर किसी आवास के लिये बिड करेंगे, आपको क्यू में अपनी स्थिति दिखेगी। अगर आप टेलिफ़ोन पर बिड करेंगे, तो आप जब बिड के विवरणों की पुष्टि करेंगे, तब आपको क्यू में अपनी स्थिति की जानकारी दी जायेगी। क्यू में अपनी स्थिति की जानकारी आप विज्ञापन चक्र के दौरान किसी भी समय अपने खाते में लॉगइन Login/My account करके पता लगा सकते हैं। विज्ञापन चक्र के दौरान, हमारी स्थिति में बदलाव आने की संभावना रहती है क्योंकि दूसरे लोग आवास के लिये बिड कर सकते हैं। इसलिये, हो सकता है कि आप अपना बिड बदलकर किसी ऐसे आवास के लिये बिड करना चाहें जिसकी क्यू में, आपकी स्थिति अधिक आगे हो।
आवास जो कि किरायेदार पाने में सफल हो चुके हैं, उनकी जानकारी होमचॉइस ब्रिस्टल की वैबसाइट और हमारे किसी भी काउंसिल कस्टमर सर्विस पाइंट पर रखे न्यूज़लैटर यानी समाचार पत्रों में मिल सकती है। किसी आवास के लिये बिड करने वाले लोगों की कुल संख्या, बैंड और सफल आवेदकों की प्राथमिकता की तारीख पता लगाने के लिये, आप (रीसैंट लैट्स) Recent Lets पर जाकर क्लिक कर सकते हैं।

इस जानकारी से आप पता लगा सकेंगे कि किसी खास प्रापर्टी या क्षेत्र की लोकप्रियता कितनी है और यह भी कि आपको साधारणतः कितनी देर तक इंतेज़ार करना होगा। आप तब तय कर सकेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अन्य किसी प्रकार के आवास या इलाके में घर तलाशना बेहतर होगा जहाँ आपको कम समय तक इंतेज़ार करने की ज़रूरत होगी।

सेवा को कौन– कौन इस्तेमाल कर सकते हैं?

ब्रिस्टल के हाउसिंग रजिस्टर में शामिल किया गया हर व्यक्ति हमारी सेवा का प्रयोग कर सकेगा। 16 वर्ष या इससे अधिक कोई भी व्यक्ति हाउसिंग रजिस्टर में शामिल होने के लिये आवेदन दे सकता है। आपको एक आवेदन फ़ॉर्म भरना होगा जो आपको हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस पाइंट से मिल सकता है, या आप इसे ऑनलाइन जाकर भी भर सकते हैं। आवेदन फ़ॉर्म भरने से आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के किराये के मकानों के लिये आवेदन दे सकेंगे। हमारे संपर्क और काम के लिये खुले रहने के विवरण देखने के लिये (हाउ टू कौंटैक्ट अस) How to contactus पर क्लिक कीजिये।

अपने आवेदन फ़ॉर्म के साथ आपसे निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा जायेगा :

- अपने परिवार के सभी लोगों की पहचान के प्रमाण (जैसे कि पासपोर्ट, जन्म के प्रमाण–पत्र)
- वर्तमान पते का प्रमाण (जैसे कि हाल का यूटिलिटी यानी बिजली, गैस आदि का बिल)
- अगर आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो यूके में रहने के आपके अधिकार का प्रमाण (जैसे कि पासपोर्ट और होम ऑफ़िस का दूसरा कोई दस्तावेज़।

आपको कोई भी आवास प्रस्तुत होने के पहले, आपको अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। हम आपको बतायेंगे कि ये अतिरिक्त दस्तावेज़ कौन–कौन से होंगे और आपको इन्हें कब प्रस्तुत करना होगा।

सभी दस्तावेज़ ओरिजिनल यानी मूल, दिनाप्त और वैध होने होंगे।

दस्तावेज़ पाने के बाद,आपके आवेदन का मूल्यांकन होगा और उसे उचित बैंड में रखा जायेगा। हमारी बैंडिंग स्कीम पर अधिक जानकारी के लिये (प्रायौरिटायज़िंग ऐप्लिकेशंज़)Prioritising applications पर क्लिक कीजिये।

सेवा को कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?

अगर आपने आवेदन फ़ॉर्म नहीं भरा है और आपको हाउसिंग रजिस्टर के लिये नहीं स्वीकार किया गया है, तो आप यह सेवा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।

कुछ लोग कानून के मुताबिक हाउसिंग रजिस्टर में शामिल नहीं किये जा सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- कुछ लोग जिनपर 1996 असायलम ऐंड इमिग्रेशन ऐक्ट के अंतगर्त, इमिग्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है।
- विदेश से आने वाले कुछ लोग जिनपर इमिग्रेशन कंट्रोल करना संभव नहीं है, पर जो सामान्य तौर पर यूके, चैनेल आयलैंड्स, दी आइल ऑफ़ मैन या रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड में निवास नहीं करते हैं।
- ऐसे लोग (इनमें आवेदन करने वालों के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं) जो अस्वीकार्य बर्ताव के दोषी पाये जाने की वजह से, किरायेदार बनने के लिये अनुचित हैं।

अधिक विवरण के लिये होमचॉइस ब्रिस्टल टीम या हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट से संपर्क कीजिये।

आवेदनों को प्राथमिकता के अनुसार आयोजित करना

आवेदनों को प्राथमिकता के अनुसार आयोजित करने के लिये होमचॉइस ब्रिस्टल बैंडिंग स्कीम का प्रयोग करती है। किराये के लिये पाये गये सभी आवास और ट्रांस्फ़र के आवेदनों का मूल्यांकन होगा और वे 5 बैंड में रखे जायेंगे। नीचे की तालिका में बैंडिंग स्कीम प्रस्तुत है और हर बैंड में रखने योग्य आवेदकों के भी उदाहरण हैं।

बैंड	मानक
बैंड 1	आवेदक को बैंड 1 में रखा जायेगा अगर : उनको तीन महीनों के अंदर पनुरविकास या बड़े पैमाने की मरम्मत के लिये काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन से हटाना ज़रूरी है। उनको (चिल्रन ऐंड यंग पीपल्ज़ सर्विसेज़ – Children and Young People's Services की सिफ़ारिश के मुताबिक) अधिक बड़े आवास में फ़ॉस्टर कैअरर (foster carer) बनने के लिये जाने की ज़रूरत है। वो काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के किरायेदार हैं और उनके पास कम से कम दो अधिक कमरे हैं और वो ऐसे घर के लिये निवेदन कर रहे हैं जिसमें उनके वर्तमान घर से कम से कम दो कमरे कम हैं। उनको जगह की गंभीर कमी है क्योंकि उनको कम से कम तीन बेडरूमों की ज़रूरत है।**HN (एचएन) (Housing need-** यानी आवास–संबंधी ज़रूरत **- अगर मेरी एक से अधिक ज़रूरत है, तो क्या होगा**? नामक भाग देखिये) जैसा कि चिल्रंज़ ऐंड यंग पीपल सर्विस ने पुष्टि की है, वो ब्रांचआउट सपोर्टिड लॉजिंग्ज़ स्कीम को सेवा प्रदान करते हैं और इस भूमिका को निभाने के लिये उनको अधिक बड़े जगह की ज़रूरत है। वो स्कीम के किसी भी वर्ग में नहीं रखे जा सकते हैं, पर तीन महीनों के अंदर दोबारा आवासित किये जाने की उनकी असाधारण और अतिगंभीर ज़रूरत है।
बैंड 2	आवेदक को बैंड 2 में रखा जायेगा अगर : वो या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी और/या जानलेवा शारीरिक या मानसिक समस्या है जो सीधे उनके वर्तमान आवास से जुड़ी हुई है। आवेदक (या उनके परिवार के किसी सदस्य को) स्वतंत्रा और सुरक्षा के साथ काम करने के लिये दूसरे तरह के आवास या जगह में स्थानांतरित किये जाने की गंभीर ज़रूरत गंभीर है। ***HN*** उनको जगह की गंभीर ज़रूरत है क्योंकि जितने बेडरूम पाने का उनका अधिकार है, उनके पास उससे दो कमरे कम हैं। **HN** वो मूव– ऑन स्कीम के लिये योग्य हैं। सपोरटेड लॉजिंग्स स्कीम के अंतर्गत वो योग्य है और स्वतंत्र सोशल हाउज़िंग के आवास में जा सकता/सकती है।
बैंड 3	आवेदक को बैंड 3 में रखा जायेगा अगर : गंभीर उत्पीड़न वास्तविक खतरे की धमकी से बचने के लिये उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को तुरंत दोबारा आवासित करना ज़रूरी है। **HN** वो या उनके परिवार कर किसी सदस्य को तुरंत दोबारा आवासित करना ज़रूरी है ताकि वो अपने किसी रिश्तेदार के पास रह सकें या वो ऐसा सहारा दे या पा सकें जो उनके लिये महत्त्वपूर्ण रूप से कल्याणकारी होगा। **HN** उनके प्रति हाउसिंग ऐक्ट 1996 के s193(2) के अंर्तगत ब्रिस्टल सिटी काउंसिल का उत्तरदायित्व है और उनको अस्थायी आवास नहीं (पर इमरजैंसी आवास शामिल है) उनके प्रति हाउसिंग ऐक्ट 1996 के s193(2) के अंर्तगत ब्रिस्टल सिटी काउंसिल का उत्तरदायित्व है और वो इसके अंतर्गत स्थायी आवास 12 महीनों से अधिक में रहे/ रहीं हैं। **HN** वो किसी परिवार के स्थायी सदस्य हैं जिसका प्रमुख भाग गंभीर रूप से जगह की कमी का शिकार है (यानी अपनी ज़रूरत से उनके पास 2 बैडरूम कम हैं और उनके पास 4 बैडरूम होने चाहिये)और उनका स्थानांतरण करने से उनके प्रमुख परिवार की जगह की कमी की समस्या सुधरेगी। **HN** वो अस्वास्थ्यकर और असंतोषजनक आवास वाली परिस्थितियों में रहते हैं जो सेहत और खुशहाली को खतरा पैदा करने के नज़रिये

	से, इतने गंभीर हैं कि उन्हें पुनः आवासित करना ज़रूरी है। **HN** वो ब्रिस्टल हाउसिंग पार्टनरशिप के किरायेदार हैं जिनको जगह की कमी है क्योंकि उनके पास अपनी योग्यता से एक बेडरूम कम है और उनका आवास-संबंधी मूल्याँकन किया जा चुका है जिससे पता चलता है कि उनके मामले को जिस वर्ग में रखा जाना चाहिये वो है कैटेगरी 1 स्पेस ऐंड क्राउडिंग हैज़ार्ड। ***HN*** वो चिल्रन ऐंड यंग पीपल्ज़ सर्विसेज़ द्वारा निर्दिष्ट कैअर सेवा से निकलकर बाहर जाने वाला युवा है।
बैंड 4	आवेदक को बैंड 4 में रखा जायेगा अगर : वो ब्रिस्टल हाउसिंग पार्टनरशिप के किरायेदार हैं और उनके पास अपनी ज़रूरत से कम से कम एक अधिक कमरा है, और वो अपने वर्तमान घर से एक कमरा कम वाले आवास का निवेदन कर रहे हैं। उनकी जगह की ज़रूरत गंभीर है और वो एक अधिक बेडरूम पाने के हकदार हैं। **HN** वो बेघर हैं जिनके प्रति बिस्टल सिटी काउंसिल का उत्तरदायित्व है, और वो 12 महीनों से कम समय तक अस्थायी आवास में रहे हैं। **HN** वे या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की शारीरिक या मानसिक शिकायत है जो कुछ हद तक उनके वर्तमान आवास से जुड़ी हुई है और जो उनको किसी दूसरे प्रकार के आवास या जगह में पुनरवासित कर देने से सुधर सकती है। आवास में समुचित तरीके से परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं और उससे जुड़ी समस्या बैंड 2 में शामिल किये जाने के योग्य नहीं है। **HN** वो या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी खास इलाके या शहर मे जाकर रहने की ज़रूरत है, और ऐसा न करने के कारण, उनको या दूसरे लोगों को कठिनाई पैदा होगी। **HN**
बैंड 5	अगर आवेदक मानकों के अनुसार निर्धारित 1 - 4 किसी भी बैंड में डाले जाने योग्य नहीं है, तो उसको बैंड 5 में डाला जायेगा।

मेरे आवेदन पर किस तारीख से विचार किया जायेगा?

आवेदनों पर हर बैंड के अंदर की तारीख के मुताबिक विचार किया जायेगा। यह वह तारीख होगी जिसपर आवेदन मिला था या जिस तिथि पर प्राथमिकता तय की गयी थी/बैंडिंग यानी किसी खास बैंड में डालने का निर्णय लिया गया था।

अगर मेरी एक से अधिक ज़रूरत है, तो क्या होगा?

कोई आवेदन अगर एक से अधिक बैंड, जिसे **HN (Housing Need-** एचएन यानी आवास-संबंधी ज़रूरत) के ज़रिये दर्शाया गया है, में रखे जाने के लायक होगा, तो उसे अधिक ऊंचे वाले बैंड में रखा जायेगा और उसके लागू होने की तारीख को छः महीने पहले की तारीख से चालू कर दिया जायेगा। इस तरह से हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि जिनकी आवास की ज़रूरत सबसे अधिक है, उसको प्राथमिकता मिले। हर तरह की मिली जुली ज़रूरत पर गौर करते समय, आवेदन को केवल एक बार अधिकतम छः महीने तक बैकडेट किया जायेगा।

क्या मुझे नीचे के बैंड में डाला जा सकता है?

किसी आवेदन को नीचे के बैंड में डालकर 'रेलेगेट' यानी नीचे गिराया जा सकता है, अगर आवेदक :

- का ब्रिस्टल के साथ कोई लोकल यानी स्थानीय संबंध नहीं है।

- के परिवार की सामूहिक आमदनी या बचत की रकम £30,000 से अधिक है, या उसपर कोई निर्भर नहीं है और उसकी सामूहिक आमदनी या बचत £25,000 से अधिक है।
- परिवार वाला एक मकान मालिक है जिसकी प्रापर्टी की इक्विटी या मूल्य £30,000 से अधिक है या वो बिना किसी निर्भर व्यक्ति वाला मकान मालिक है, जिसकी प्रापर्टी की इक्विटी £25,000 से अधिक है।
- ऐसे बर्ताव करने का दोषी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- पर ब्रिस्टल सिटी काउंसिल या किसी हाउसिंग एसोसिएशन को £300 से अधिक धनराशि देना बाकी है।
- ने पिछले छः महीनों में आवास के किसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

अगर आपको लगता है कि हमने आपकी प्राथमिकता को अकारण घटाया है या आपका मानना है कि हमने आपको सही बैंड में नहीं रखा है, तो आप हमारे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।